

२
३१

जली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
सीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक १२/१/२५
को पेश हो।

१२/१/२५ पत्रावली ~~संबन्धित~~ हुई वकील वादी
अनुपस्थित। बार-बार भवावे
लगाते न जावजूद न तो वादी
स्वयं एवं न ही जरिए वकील
अपस्थित हुआ। फलतः ज्जापालक
मादेशा व निम्न छ से तद्वत् बाद
नो खारिज करने का मादेश
पेला है।
निर्णीप हुकमे ज्जापालक से सुनापा
गया। पत्रावली निम्नानुसार दारिबल
दस्तावेज दर्ज नकर से
कम है।

सुरेश राव अरि.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़